कीमत 5 रूपया

http://www.cgpi.org

आने वाले इंक़लाबी तूफ़ानों के लिये तैयारी करें!

मज़दूर एकता लहर

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अख़बार

ग्रंथ-36, अंक - 10-11 | मई 16-31, 2022 और जून 1-15, 2022 संयुक्त अंक | पाक्षिक अख़बार | कुल पृष्ठ-8

हिन्दोस्तान की आज़ादी का महान युद्ध - 1857 के ग़दर की 165वीं सालगिरह के अवसर पर

हमें बांटने वालों और हमारी ज़मीन व श्रम का शोषण और लूट करने वालों के ख़िलाफ़ संघर्ष आज भी जारी है

आज से 165 वर्ष पहले, 10 मई को मेरठ में तैनात किये गये ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों ने दिल्ली पर कब्ज़ा करने के लिए कूच किया था। वह महान ग़दर की शुरुआत थी। वह हिन्दोस्तान की आज़ादी का जंग था, हिन्दोस्तानी उपमहाद्वीप के व्यापक क्षेत्र पर कब्ज़ा किये हुए, उस अंग्रेज़ व्यापारी कंपनी के अन्यायपूर्ण, दमनकारी और खुदगर्ज़ शासन से आज़ादी के लिए जंग था।

समाज के हर तबके के लोग दमनकारी कंपनी राज का तख़्तापलट करने के लिए एकजुट हो गए थे। लोग धर्म, जाति, भाषा और संस्कृति के भेदभाव को भुलाकर एकजुट होकर, संघर्ष में आगे आए थे। इस उपमहाद्वीप के अलग-अलग इलाकों में मेहनतकश किसान और कारीगर, आदिवासी, व्यापारी, बुद्धिजीवी, अलग-अलग धर्मों के प्रधान, देशभक्त राजा और रानी, सब उस हथियारबंद बग़ावत में आगे आए थे। वे सब एक ऐसे नए राज्य की स्थापना करने के उद्देश्य के साथ एकजुट हुए थे, जिसमें इस उपमहाद्वीप के लोग खुद अपने भविष्य को निर्धारित करेंगे। *"हम हैं इसके मालिक, हिन्दोस्तान हमारा!"*, इस नारे को बुलंद करते हुए, उन्होंने असीम हिम्मत के साथ जंग के मैदान में प्रवेश किया था।

1857 के ग़दर का ऐतिहासिक महत्व यह है कि उस ग़दर से यह मिथक चकनाचूर हुआ, कि इस उपमहाद्वीप के लोग अलग-अलग धर्मों, जातियों और समुदायों में बंटे हुए हैं और अपने अत्याचारियों के ख़िलाफ़ एकजुट होने के क़ाबिल नहीं हैं।

आज 1857 का अनुभव इसलिए महत्व रखता है क्योंकि, लगभग 75 वर्ष पहले उपनिवेशवादी शासन तो ख़त्म हो गया था, परंतु हमारी भूमि तथा श्रम का शोषण और लूट आज भी जारी है। 1857 के अनुभव का महत्व आज इसलिए भी है क्योंकि हिन्दोस्तान के लोग आज भी उसी 'बांटो और राज करो' के असूल के शिकार बने हुए हैं, जिसे अंग्रेज़ी राज ने स्थापित और मजबूत किया था।

.....

17वीं सदी की शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस उपमहाद्वीप में व्यापार शुरू किया था। 18वीं सदी के पहले 50 सालों के अंदर उसने इस उपमहाद्वीप के अलग-अलग प्रतिस्पर्धी राजाओं के आपसी अंतर्विरोधों का बड़ी चतुराई से फ़ायदा उठाकर, कुछ गद्दारों को रिश्वत देकर और अलग-अलग राजाओं और राजकुमारों को अपना मित्र बनाकर, आपस में भड़का कर और उनके साथ विश्वासघात करके, यहां के खूब-सारे इलाकों पर अपना कब्ज़ा करना शुरू कर दिया था। 1850 के दशक तक, ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल, मुंबई और मद्रास सेनाओं में लगभग दो लाख हिन्दोस्तानी सिपाही और 38,000 अंग्रेज सिपाही थे।

इंग्लैंड के पूंजीपतियों के हित के लिए इस उपमहाद्वीप की भूमि और हमारे लोगों के श्रम का शोषण और लूट किया जा रहा था। इसकी वजह से यहां बड़े पैमाने पर भुखमरी और ग़रीबी फैल गई थी। इस उपमहाद्वीप के कोने-कोने से लोग, इस भयानक हालत को ख़त्म करने की तमन्ना के साथ आगे आकर, एकजुट हुए थे।

क्रान्तिकारी ताक़तों ने बहादुर शाह ज़फ़र को अपना प्रधान प्रतिनिधि घोषित किया था। 12 मई को बहादुर शाह ज़फ़र ने यह शाही फरमान जारी किया था कि :

"हिन्दोस्तान के सभी हिन्दुओं और मुसलमानों को मैं यह कहना चाहता हूं कि

शेष पृष्ठ 2 पर

बिजली के निजीकरण के ख़िलाफ़ संघर्षों पर लेख श्रृंखला (भाग - 1)

बिजली क्षेत्र के मज़दूरों का संघर्ष बिल्कुल जायज़ है! बिजली का निजीकरण जन-विरोधी है!

बिजली मानव जीवन की मूलभूत ज़रूरतों में से एक है। इसलिए, इस मूलभूत आवश्यकता के उत्पादन और वितरण का उद्देश्य निजी मुनाफ़ा कमाना नहीं हो सकता

बिजली उत्पादन और वितरण का पूरी तरह से निजीकरण करने के लिए, एक क़ानून लागू करने के बार-बार किये जा रहे प्रयासों के ख़िलाफ़, बिजली क्षेत्र के लाखों मज़दूर एक जुझारू संघर्ष कर रहे हैं।

बिजली संशोधन विधेयक 2021, सरकार का चौथा ऐसा प्रयास है। 2014, 2018 और 2020 में भी इस विधेयक को अलग-अलग रूपों में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन इसे अभी भी संसद में पेश किया जाना बाकी है।

अगस्त 2021 में पूरे देश में बिजली कर्मचारी, बिजली संशोधन विधेयक और बिजली आपूर्ति के निजीकरण के पूरे कार्यक्रम के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन आयोजित किया।

निजीकरण के ख़िलाफ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार और देश के कई अन्य हिस्सों में राज्य स्तर पर विरोध प्रदर्शन किये गए हैं और अभी भी जारी हैं।

पंजाब और हरियाणा की सांझी राजधानी चंडीगढ़ में, बिजली वितरण के निजीकरण के ख़िलाफ़ फरवरी 2022 में

बिजली क्षेत्र से जुड़े सभी मज़दूर हड़ताल पर गए और इसका उस शहर में बिजली आपूर्ति पर बहुत असर हुआ।

जम्मू-कश्मीर में बिजली बोर्ड के मज़दूरों ने दिसंबर 2021 में बड़े पैमाने पर फाल्ट्स (ख़राबी) ठीक करने का बहिष्कार किया। इसकी वजह से केंद्र सरकार को उनसे तुरंत बातचीत करने को मजबूर होना पड़ और उस केंद्र-शासित प्रदेश में बिजली आपूर्ति के निजीकरण की योजना को स्थगित करने के लिए सरकार सहमत हुई।

पूरे देश में बिजली कर्मचारियों के व्यापक विरोध और हड़तालों के चलते, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिजली संशोधन विधेयक को संसद में पेश करने के अपने इरादे को टाल दिया है।

इस 21वीं सदी में इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि बिजली मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। बिजली के बिना बुनियादी शिक्षा भी प्राप्त करना असंभव है। मज़दूर यूनियनों ने इस बात को बार-बार दोहराया है।

बिजली, आज के युग में सभी मनुष्यों की एक अनिवार्य ज़रूरत है। यह एक सर्वव्यापक अधिकार है। इसलिए राज्य का यह कर्तव्य है कि वह सभी को उचित दरों पर बिजली की पर्याप्त और विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करे। बिजली आपूर्ति का निजीकरण, राज्य द्वारा उसके इस कर्तव्य की अवहेलना करने के बराबर है। यह सस्ती दरों पर विश्वसनीय

शेष पृष्ठ 5 पर

अंदर पढ़ें

- दूसरे विश्व युद्ध के सबक 3
- बिजली-आपूर्ति का संकट और उसका असली कारण 4
- मई दिवस पर मज़दूरों ने अपना गुस्सा प्रकट किया 5
- वी.एच.एस. अस्पताल के मज़दूरों का संघर्ष 5
- बुलडोजर अभियान का विरोध 6
- अंबुर में मज़दूरों का संघर्ष 6
- अग्निकांड में मज़दूरों की मौत 7
- मज़दूरों ने श्रममंत्री को दी चेतावनी 7

आज़ादी का महान युद्ध – 1857 के ग़दर की 165वीं सालगिरह

पृष्ठ 1 का शेष

इस समय, जनता के प्रति मेरे फ़र्ज़ को ध्यान में रखते हुए, मैंने यह फ़ैसला किया है कि मैं अपने लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। इस समय सभी हिन्दुओं और मुसलमानों का अनिवार्य कर्तव्य है कि वे अंग्रेजों के ख़िलाफ़ बग़ावत में जुड़ जाएं। सभी को शहरों में अपने नेताओं के मार्गदर्शन के तले काम करना चाहिए और देश में व्यवस्था पुनः स्थापित करने के लिए क़दम लेना चाहिए। यह सभी लोगों का अनिवार्य कर्तव्य है कि वे यथासंभव, इस फरमान की कॉपियां बनाकर इसे सभी शहरों में अहम स्थानों पर लगा दें। लेकिन ऐसा करने से पहले लोगों को हथियार उठा लेना पड़ेगा और अंग्रेजों पर जंग का ऐलान कर देना पड़ेगा।"

बहादुर शाह ने एक और फरमान जारी किया था, जिसमें उन्होंने लोगों को यह चेतावनी दी थी कि :

"अंग्रेज हिंदुओं को मुसलमानों के ख़िलाफ़ और मुसलमानों को हिंदुओं के ख़िलाफ़ भड़काने की कोशिश करेंगे। उनकी बातों पर ध्यान न देना। बल्कि, उन्हें देश से बाहर भगा देना।"

20 से ज्यादा शहरों में लोग हथियार उठाकर आगे आए। ये शहर अंग्रेज़ हिन्दोस्तान के प्रमुख उत्पादन केंद्र थे। लोगों ने अवध समेत, पूर्वी हिन्दोस्तान में बहुत सारे इलाकों पर अपना कब्ज़ा जमा लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल सेना के अधिकतम सैनिकों ने अपने अफ़सरों के ख़िलाफ़ विद्रोह किया और क्रान्तिकारी ताक़तों से जुड़ गए।

1857 के ग़दर ने हिन्दोस्तान पर अंग्रेज़ हुकूमत की नींव को झकझोर दिया और वह लंदन तथा पूरी दुनिया में राजनीतिक चर्चा का मुख्य विषय बन गया।

इस उपमहाद्वीप के लोगों के इस प्रकार एकजुट होकर विद्रोह करने से अंग्रेज़ हुकूमत बुरी तरह हिल गई। उस समय तक अंग्रेज़ हुक्मरान यह मानते थे कि क्योंकि हिन्दोस्तान में अलग–अलग भाषाओं, धर्मों और जातियों के लोग बसे हुए हैं, इसलिए इन भेदभावों की वजह से लोग उपनिवेशवादी हुकूमत को ख़त्म करने के लिए एकजुट संघर्ष नहीं कर पाएंगे।

लोगों पर कब्ज़ा करने के लिए उन्हें बांटना और फिर लोगों पर राज करने के लिए उन्हें बांटना – इन असूलों से मार्गदर्शित होकर हुक्मरानों ने हिन्दोस्तान पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था। 1822 में लेफ्टिनेंट कर्नल कोक, जो कंपनी राज के तहत मुरादाबाद के तत्कालीन कमांडेंट थे, उसने लिखा था कि ***"हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि अलग–अलग धर्मों और जातियों के बीच में जो मतभेद मौजूद हैं, उन्हें पूरी ताक़त के साथ बरकरार रखा जाये और उनके आपस में सामंजस्य बनाने की बिल्कुल कोशिश न की जाये। 'बांटो और राज करो', यही हिन्दोस्तान की सरकार का असूल होना चाहिए।"***

हुक्मरानों ने हिन्दोस्तान की आज़ादी के योद्धाओं के ख़िलाफ़ अप्रत्याशित क्रूरता का इस्तेमाल किया, ग़दर के दौरान और उसे दबाने के बाद के वर्षों में भी। हुक्मरानों ने दसों–हजारों देशभक्तों को फांसी पर चढ़ा दिया। पेशावर से कोलकाता तक, ग्रैंड ट्रंक रोड के हर पेड़ पर एक लाश लटकाई गई थी। पूरे–पूरे शहरों को लूटा गया, निहत्थे लोगों का क़त्लेआम किया गया और पूरे–पूरे गांव जलाकर राख कर दिए गए। अवध इलाके से दसों–लाखों लोगों को इस आतंक की मुहिम से बचने के लिए देश के अलग–अलग हिस्सों में भागना पड़ा था। कुछ इतिहासकारों ने अनुमान लगाया है कि लगभग एक करोड़ लोगों को, जो कि उस समय के अंग्रेज़ हिन्दोस्तान की आबादी का 5 प्रतिशत से ज्यादा थे, 1857–58 के दौरान उपनिवेशवादी शासकों द्वारा मौत के घाट उतारा गया था। अंग्रेज सिपाहियों को उस बग़ावत को कुचलने और पूरे हिन्दोस्तानी उपमहाद्वीप पर फिर से अपना नियंत्रण जमाने के लिए एक साल से ज्यादा समय लगा था।

हुक्मरानों ने हिन्दोस्तानी संस्कृति का भी जनसंहार किया था। हजारों–हजारों सालों में हिन्दोस्तानी लोगों ने जो सोच–विचार की सामग्री पैदा की थी, उसे ख़त्म करने के लिए हुक्मरानों ने हमारे लोगों के पूरे–पूरे पुस्तकालय नष्ट कर दिए। हुक्मरानों ने किसी भी हिन्दोस्तानी लेखक द्वारा ग़दर पर लिखी गई किसी भी पुस्तक के प्रकाशन पर रोक लगा दी और इसके बजाय, उन्होंने अंग्रेज़ लेखकों द्वारा ग़दर के तोड़े–मरोड़े विवरण को प्रकाशित किया।

1857 के ग़दर को कुचलने के बाद महारानी विक्टोरिया ने 1858 में एक ऐलाननामा जारी किया, जिसके अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की जगह पर अंग्रेज़ राज्य का सीधा शासन लागू किया गया। अंग्रेज़ सरमायदारों ने ऐसे राजनीतिक संस्थानों और शिक्षा व्यवस्था का निर्माण करना शुरू किया, जिनके ज़रिए लोगों के बीच में बंटवारे को और ज़ोरदार तरीक़े से बरकरार रखा गया और जिनका मक़सद था लोगों को एकजुट होकर फिर से बग़ावत करने से रोकना। अंग्रेज़ सरमायदारों ने अपने द्वारा की जा रही हिन्दोस्तान की लूट को जायज़ ठहराने के लिए और राष्ट्रीय आज़ादी की हिन्दोस्तानी लोगों की तमन्ना को अपराध करार देने के लिए, कई क़ानून लागू किए।

अंग्रेज़ सरमायदारों ने इस बात को छुपाया की 1857 के ग़दर में लोगों ने अपने धार्मिक भेदभाव को दरकिनार करते हुए, अपनी एकता बनाई थी। अंग्रेज़ सरमायदारों ने यह झूठा प्रचार फैलाया था कि 1857 का ग़दर *"मुसलमानों की बग़ावत थी"*। उन्होंने कई गद्दार महाराजाओं की सांठगांठ में, देशभक्तों का क़त्लेआम आयोजित किया। राज्य ने लोगों का सांप्रदायिक आधार पर क़त्लेआम करवाया और फिर दूसरे धर्म के लोगों पर इसका झूठा इल्जाम लगा दिया।

हिन्दोस्तानी लोगों को हिंदू बहुसंख्यक, मुसलमान अल्पसंख्यक और दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के बीच में बांटने के सांप्रदायिक नज़रिए को, बहुत ही सोचे–समझे तरीक़े से, देश के क़ानूनों को आधार बनाया गया। लॉर्ड कर्जन (जो 1895–99 के बीच में हिन्दोस्तान के गवर्नर जनरल और 1899–1904 तक वायसरॉय थे) को अंग्रेज़ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ने बताया कि उन्हें *"पाठ्य पुस्तकों को इस प्रकार से व्यवस्थित करना चाहिए ताकि अलग–अलग समुदायों के बीच में अंतरों को और मजबूत किया जा सके।"*

जिन संपत्तिवान और ऊंची–ऊंची पदवियों से नवाज़े गए हिन्दोस्तानियों ने अंग्रेज हुक्मरानों का सहयोग किया था, उन्हें ज़मीन और औद्योगिक लाइसेंसों से पुरस्कृत किया गया। अंग्रेज सरमायदारों ने इसे अपने लिए हितकारी समझा कि हिन्दोस्तानियों के बीच में से पूंजीपतियों और ज़मींदारों को विकसित किया जाए, जिनके हित में उपनिवेशवादी व्यवस्था को बरकरार रखना होगा। अंग्रेज हुक्मरानों ने उन संपत्तिवान वर्गों की राजनीतिक पार्टियों की स्थापना में सहायता की, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग। 20वीं सदी की शुरुआत में उन्होंने प्रादेशिक वैधानिक निकायों में सदस्यों को चुनने की प्रक्रिया शुरू की, जिसमें कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग और इस प्रकार की अन्य पार्टियां अपने उम्मीदवारों को खड़ा कर सकती थीं। निर्वाचन क्षेत्रों को सांप्रदायिक आधार पर बांटा जाता था ताकि शिक्षित और संपत्तिवान हिन्दू और मुसलमान, अपने–अपने निर्वाचन क्षेत्रों में अपने–अपने उम्मीदवारों के लिए मतदान कर सकें।

सांप्रदायिक बंटवारे को और गहरा करने के लिए अंग्रेज़ हुक्मरानों ने किसी समय हिन्दुओं का पक्ष लेने और किसी दूसरे समय पर मुसलमानों का पक्ष लेने का दिखावा किया। सच तो यह था कि उन्होंने सभी हिन्दोस्तानी लोगों की भूमि और श्रम का शोषण किया और लूटा, चाहे किसी का कोई भी धर्म हो। सिर्फ कुछ मुट्ठीभर खुदगर्ज़ गद्दार लोगों को ही अंग्रेज़ राज के तहत विशेष अधिकार और लाभ दिए गए।

अगस्त 1947 में जब धार्मिक पहचान के आधार पर हिन्दोस्तान का बंटवारा किया गया और पंजाब और बंगाल के राज्यों को बांट दिया गया, तो वह उपनिवेशवादी गुलामी से मुक्ति के लिए हिन्दोस्तानी लोगों के एकजुट संघर्ष के ख़िलाफ़ अंग्रेज़ उपनिवेशवादियों द्वारा किया गया सबसे बड़ा अपराध था। अंग्रेज़ उपनिवेशवादियों द्वारा स्थापित सांप्रदायिक बुनियादों के ऊपर, दो देश – हिन्दोस्तान और पाकिस्तान – बनाए गए, ताकि देशी और विदेशी पूंजीपतियों द्वारा हमारी भूमि और श्रम के शोषण और लूट–खसोट को निरंतर बरकरार रखा जा सके।

हिन्दोस्तान के हुक्मरान वर्ग ने बहुत ही सुनियोजित और सोचे–समझे तरीक़े से यह झूठा प्रचार फैलाया है कि एक ख़ास धार्मिक समुदाय के लोग हिन्दोस्तान के बंटवारे के लिए ज़िम्मेदार हैं। सच तो यह है कि अंग्रेज़ साम्राज्यवादी ही हिन्दोस्तान के बंटवारे के लिए ज़िम्मेदार थे।

आज भी "बांटो और राज करो" सरकार का असूल है। आज भी राज्य द्वारा आयोजित सांप्रदायिक हिंसा राज्य के शासन का पसंदीदा तरीक़ा है। इसकी वजह यह है कि 1947 में राज्य का चरित्र नहीं बदला। हिन्दोस्तान के बड़े पूंजीपतियों ने बड़े जमींदारों और गद्दार शाही परिवारों के साथ समझौता करके, अंग्रेज़ सरमायदारों की जगह ले ली। आर्थिक व्यवस्था, राज्य का ढांचा, क़ानून, दमन के अस्त्र, प्रशासन की मशीनरी और शासन के तौर–तरीक़े – उन सबको हिन्दोस्तानी सरमायदारों के हितों की सेवा के लिए, ठीक वैसे का वैसा ही रखा गया है।

संसदीय लोकतंत्र की राजनीतिक प्रक्रिया के ज़रिए सरमायदारों की हुकूमत को बरकरार रखा जाता है। क़ानून और नीतियां बनाने में लोगों की कोई भूमिका नहीं होती। कुछ मुट्ठीभर, डेढ़ सौ इजारेदार पूंजीवादी घराने 140 करोड़ हिन्दोस्तानी लोगों पर अपनी मनमर्जी को थोपते जा रहे हैं। हिन्दोस्तानी और विदेशी पूंजीपतियों द्वारा देश की भूमि और श्रम का अतिशोषण और लूट आज तक जारी है।

1857 के ग़दर ने एक ऐसे आज़ाद हिन्दोस्तान के नज़रिए को जन्म दिया था, जिसमें हिन्दोस्तान के लोग खुद अपने मालिक होंगे। 1947 में उस नज़रिए और उस तमन्ना के साथ विश्वासघात किया गया था। आज 165 वर्ष बाद, उसे हक़ीक़त में बदलने के लिए संघर्ष अभी भी जारी है।

ग़दर ने अलग–अलग धर्मों के लोगों को आपस में लड़ाने के अंग्रेज हुक्मरानों के प्रयासों को नाक़ामयाब कर दिया था। आज भी हमारे सामने इसी प्रकार की चुनौती है। हमें हुक्मरान सरमायदार वर्ग की लोगों की एकता को तोड़ने की साज़िशों को नाक़ामयाब करना होगा। हमें इस बात से प्रोत्साहन लेना होगा कि 1857 में करोड़ों–करोड़ों मेहनतकश और चिंतनशील लोगों ने अपने सांझे दुश्मन के ख़िलाफ़ एकता बनाई थी। इससे यह ज़ाहिर होता है कि हम फिर से ऐसा कर सकते हैं।

हम हिन्दोस्तान के लोग, जो सांप्रदायिक हिंसा की महामारी को ख़त्म करना चाहते हैं और सबके लिए सुख–सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं, हमें 1857 के शहीदों द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम को और आगे ले जाना होगा। यह एक ऐसे हिन्दोस्तान का निर्माण करने का कार्यक्रम है, जिसमें लोगों के हाथ में सत्ता होगी, जहां हर इंसान को एक बराबर का नागरिक और बराबर का मानव माना जाएगा, जहां श्रम करने वालों को अपने सामूहिक श्रम का फल मिलेगा, जहां अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर होगी और अर्थव्यवस्था की दिशा होगी पूंजीपतियों की लालच नहीं बल्कि लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना।

http://hindi.cgpi.org/22137

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी द्वारा प्रकाशित पुस्तक
(हिन्दी, पंजाबी और अंग्रेजी में उपलब्ध)

हिन्दोस्तान ग़दर पार्टी की कथा और हिन्दोस्तान के बदलाव के संघर्ष के लिये वर्तमान में इसका महत्व
संपर्क करें :– ई–392, संजय कालोनी, ओखला फेस–2, नई दिल्ली – 110020,
फोन : 9810167911, 9868811998
प्रत्येक पुस्तक के लिये मूल्य : 100 रुपये और डाक खर्च 40 रुपये, का मनीऑर्डर उपरोक्त पते पर भेजें या बैंक ट्रांसफर करें – **लोक आवाज़ पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स,** बैंक ऑफ महाराष्ट्र, नई दिल्ली कालका जी, **खाता संख्या** :– 20066800626, **ब्रांच कोड** :– 00974,
आई.एफ.एस. कोड (IFS Code) :– MAHB0000974

नाज़ी जर्मनी की पराजय की 77वीं वर्षगाँठ के अवसर पर :

दूसरे विश्व युद्ध से सबक

स्थायी शांति क़ायम करने के लिए साम्राज्यवादी जंग के स्रोत, साम्राज्यवादी व्यवस्था, को उखाड़ फेंकना होगा और उसकी जगह पर समाजवाद की स्थापना करनी होगी

77 वर्ष पहले, 9 मई, 1945 को नाज़ी जर्मनी ने जर्मनी की राजधानी, बर्लिन में सोवियत संघ की लाल सेना के प्रतिनिधियों के सामने, आत्म–समर्पण किया था। इसके साथ, यूरोप में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ। इससे पहले, 2 मई को जर्मनी के संसद (राइकस्टैग) पर लाल सेना के झंडे के फहराए जाने के साथ, नाज़ी फासीवाद से यूरोप और दुनिया की मुक्ति का संदेश पहुंचाया गया।

नाज़ी जर्मनी, फासीवादी इटली और सैन्यवादी जापान, इन तीनों ने मिलकर दुनिया के लोगों के ख़िलाफ़, मानव जाति के इतिहास का एक बहुत ही भयानक युद्ध आयोजित किया था। उन्होंने दुनिया को फिर से आपस में बांटकर अपने–अपने बाज़ारों और प्रभाव क्षेत्रों का विस्तार करने के इरादे से ऐसा किया था। उन्होंने धर्म और नस्ल के आधार पर, पूरे–पूरे समुदायों के लोगों का जनसंहार किया और ऐसे–ऐसे अपराध किये जिनका वर्णन करना असंभव है।

यूरोप, एशिया और अफ्रीका के जिन देशों पर उन ताक़तों ने कब्ज़ा किया था, वहां के लोग कम्युनिस्टों की अगुवाई में, आज़ादी और मुक्ति के लिए ज़ोरदार संघर्ष में आगे आये। सोवियत संघ के लोगों ने उस महान संघर्ष में बेमिसाल कुर्बानियां कीं, जिसे सारी दुनिया की फासीवाद–विरोधी और साम्राज्यवाद–विरोधी ताक़तें सोवियत लोगों के महान देशभक्ति के युद्ध के रूप में हमेशा याद रखेंगी।

परन्तु 77 वर्ष पहले जर्मनी और उसके मित्रों की पराजय से फासीवाद और दुनिया के पुनः बंटवारे के लिए साम्राज्यवादी जंग ख़त्म नहीं हुए। दूसरे विश्व युद्ध के ख़त्म होने के बाद, अमरीकी साम्राज्यवाद ने हिटलरवादी फासीवाद को अपना लिया। दूसरे विश्व युद्ध के अंत में अमरीका अन्य देशों की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली बन गया था। तब उसने सोवियत संघ तथा दूसरे समाजवादी देशों में समाजवाद को नष्ट करने, क्रांति और समाजवाद के लिए मज़दूर वर्ग और लोगों के संघर्षों को कुचलने और खुद को साम्राज्यवादी मोर्चे का प्रधान स्थापित करने के लिए अपने व्यापक संसाधनों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जिन बदनाम युद्ध अपराधियों ने मानव जाति के ख़िलाफ़ वहशी अपराध किये थे, उन्हें अमरीका में नागरिकता दी गयी, ताकि वे कम्युनिज़्म के ख़िलाफ़ अमरीकी साम्राज्यवाद के जंग में अहम भूमिका अदा कर सकें।

युद्ध के अंत के समय, अमरीका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराकर, यह स्पष्ट कर दिया कि युद्ध के बाद उसके क्या इरादे थे। वह सोवियत संघ और दुनिया के लोगों को एक धमकी थी कि अमरीका अपने रास्ते में रुकावट बनने वाली किसी भी ताक़त को ख़त्म करने से पीछे नहीं हटेगा। राष्ट्रों के आत्म–निर्धारण के अधिकार को पांव तले रौंदकर, अमरीका ने उनके अंदरूनी मामलों में बड़ी बेरहमी से हस्तक्षेप किया, उनमें फासीवादी हुकूमतों को खड़ा किया और उनकी मिलीभगत के साथ, कम्युनिस्टों और क्रांतिकारियों का जनसंहार किया। अमरीका ने यूनान,

कोरिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, ईरान व अन्य देशों के लोगों के क्रान्तिकारी संघर्षों पर क्रूर हमला किया। अमरीका के अन्दर, उसने "लाल ख़तरे" को मिटाने के नाम पर, सभी लोकतांत्रिक और प्रगतिशील लोगों पर फासीवादी हमला शुरू किया।

आज से 31 वर्ष पहले, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था, तब से अमरीका की अगुवाई में दुनिया के साम्राज्यवादियों ने कम्युनिज़्म के लिए और पूंजीवाद व साम्राज्यवाद से मुक्ति के लिए लोगों की आकांक्षाओं पर पानी फेरने के इरादे से, एक अप्रत्याशित हमला छेड़ दिया। अमरीकी साम्राज्यवाद अपने हथियारों के विशाल भण्डार के सारे अस्त्रों का इस्तेमाल कर रहा है, ताकि मज़दूर वर्ग के संघर्षों को कुचल दिया जा सके और अमरीका की हुक्मशाही के तले एक ध्रुवीय दुनिया स्थापित की जा सके। इन हथियारों में शामिल हैं जैव हथियार, आतंकवाद, "लोकतंत्र की हिफ़ाज़त" और "आतंकवाद पर जंग" के नाम पर अलग–अलग देशों में शासन परिवर्तन, सैनिक ताक़त और अंतर्राष्ट्रीय वित्त व्यवस्था में मुद्रा बतौर डॉलर की प्राथमिकता, आदि। इनका तथाकथित मक़सद यह बताया जाता है, कि अमरीका "नियमों पर आधारित व्यवस्था" स्थापित करना चाहता है।

अमरीकी साम्राज्यवादी लगातार नाटो को यूरोप में पूर्व की ओर विस्तृत करते जा रहे हैं। वे पूरे यूरोप को अपनी हुक्मशाही के तले लाने के क़दम उठा रहा रहे हैं और इस प्रकार से, रूस के अस्तित्व को ही धमकी दे रहे हैं। एशिया में, अमरीका एशिया–प्रशांत महासागर इलाके में समुद्री मार्गों पर अपना कब्ज़ा जमाने तथा चीन को घेरने के उद्देश्य से, एक सैनिक–रणनीतिक गठबंधन बना रहा है।

पूंजीवादी–साम्राज्यवादी व्यवस्था अप्रत्याशित संकट में फंसी हुई है। अमरीकी साम्राज्यवाद और उसके मित्र इस संकट से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी क़ीमत दुनिया के मज़दूर वर्ग और लोगों को चुकानी पड़ रही है।

अमरीकी साम्राज्यवादी फासीवाद और साम्राज्यवाद के स्रोत के बारे में लोगों के दिमाग में ग़लत सोच फैलाने के लिए निरंतर झूठा प्रचार करते रहते हैं। वे समाजवाद के लिए मज़दूरों के संघर्षों को कुचलने के एक हथियार बतौर, फासीवाद को जन्म देने में अमरीका, ब्रिटेन और दूसरे साम्राज्यवादी देशों के बड़े–बड़े इजारेदार पूंजीवादी घरानों की निर्णायक भूमिका को छुपाते हैं। दूसरे विश्वयुद्ध को अंजाम देने में अमरीकी साम्राज्यवाद और उनके मित्र ज़िम्मेदार थे। आज सारी दुनिया पर अपना बोलबाला स्थापित करने के लिए, वे जिस रास्ते को अपना रहे हैं, उसकी वजह से दुनिया को एक नए विश्वयुद्ध में धकेले जाने का ख़तरा बढ़ रहा है।

अमरीकी साम्राज्यवाद की योजनाओं को नाक़ामयाब करने तथा मानव समाज को एक और साम्राज्यवादी विश्वयुद्ध से बचाने के लिए, यह अत्यावश्यक है कि लोग दूसरे विश्वयुद्ध से उचित सबक सीखें।

.....

दूसरे विश्वयुद्ध को अंजाम देने में अमरीका, ब्रिटेन और फ्रांस की भूमिका

प्रथम विश्वयुद्ध (1914 से 1918) दो साम्राज्यवादी गिरोहों के बीच में, दुनिया को फिर से बांटने का जंग था। उसका एक बहुत ही अहम परिणाम यह था कि रूस के मज़दूर और किसान अपने सरमायदारों का तख्तापलट करने में क़ामयाब हुए थे, रूस को उस जंग से बाहर निकालने और साम्राज्यवादी व्यवस्था से अलग करने में क़ामयाब हुए थे।

साम्राज्यवादी ताक़तों को इस बात का बहुत डर था कि उनके अपने तथा अन्य देशों के मज़दूर रूस के मज़दूरों की मिसाल के अनुसार आगे बढ़ने लग जाएंगे। इसलिए अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य साम्राज्यवादी ताक़तों ने अपनी सेना को भेजकर रूस पर हमला कर दिया, ताकि मज़दूरों और किसानों की नई–नई स्थापित हकूमत को ख़त्म किया जा सके और पूंजीवादी व्यवस्था को पुनः स्थापित किया जा सके। परंतु सोवियत संघ के क्रांतिकारी मज़दूरों और किसानों ने साम्राज्यवादियों की इन कोशिशों को बड़े निर्णायक तरीक़े से नाक़ामयाब कर दिया था।

साम्राज्यवादी ताक़तों ने अपने देशों में मज़दूरों को क्रांति के लिए उठ खड़े होने से रोकने तथा सोवियत संघ में समाजवाद को नष्ट करने के अपने इरादों को नहीं छोड़ा। जैसे–जैसे यूरोप और उत्तरी अमरीका के पूंजीवादी देश गहरे आर्थिक संकट और मंदी ने फंसते गए, वैसे–वैसे साम्राज्यवादी सरमायदारों ने अलग–अलग देशों में सोशल डेमोक्रेसी को हुकूमत के पसंदीदा तरीक़े के बतौर खड़ा करना शुरू किया। मज़दूरों में यह भ्रम फैलाया गया कि पूंजी और श्रम के बीच के अंतर्विरोध को शांतिपूर्ण तरीक़े से हल किया जा सकता है, कि राज्य वर्गों से ऊपर है और दोनों, श्रमजीवी वर्ग तथा सरमायदार की सेवा कर सकता है। इसलिए यह दावा किया गया कि श्रमजीवी वर्ग को अब क्रांति में आगे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार के भ्रमों को फैलाने के साथ–साथ, पूंजीवादी लोकतंत्र को बहुत ही सुंदर सजाकर पेश किया जाने लगा और सोवियत संघ पर हमले किए जाने लगे।

जब सोशल डेमोक्रेसी से क्रांतिकारी मज़दूरों को काबू में नहीं रखा जा सका, तब साम्राज्यवादी सरमायदारों ने अलग–अलग देशों में कम्युनिस्ट आन्दोलन और मज़दूरों के आंदोलन को कुचलने के लिए खुलेआम फासीवाद का सहारा लिया। कम्युनिज़्म के ख़तरे से "पितृ भूमि की रक्षा" का नारा देकर साम्राज्यवादी सरमायदारों ने क्रांति के ख़तरे को टालने के लिए, मज़दूर वर्ग और लोगों तथा उनके अधिकारों पर वहशी हमले करना शुरू कर दिया।

अमरीकी साम्राज्यवाद ने नाज़ी जर्मनी के उभरने में मदद करने की बहुत अहम भूमिका निभाई थी। रोकफेलर, वारबर्ग, मोंतैग नार्मन, ओसबोर्न, मॉर्गन, हरिमान, डलास और दूसरे इजारेदार पूंजीपतियों और बैंकरों ने जर्मनी को धन और हथियारों को बनाने की टेक्नोलॉजी प्रदान किए। आई.बी.एम. ने जनसंहार करवाने के लिए नागरिकों का डाटाबेस तैयार करने में जर्मन सरकार के साथ नज़दीकी से काम किया। जंगरल मोटर्स और फोर्ड ने जर्मनी द्वारा इस्तेमाल किए जाने के लिए टैंक और रक्षा–कवच वाली गाड़ियां बनाईं। स्टैंडर्ड आयल के सबसे बड़े स्टॉक धारक रोकफेलर और जर्मन कंपनी आईजी फार्बन थे, जिनकी नाज़ी हकूमत का समर्थन करने में अहम भूमिका थी। स्टैंडर्ड ऑयल ने जर्मनी को टेक्नोलॉजी दी ताकि वह अपने विमानों और टैंकों को कोयले के साथ चला सके। बड़े–बड़े अमरीकी बैंकों ने ब्रिटिश और फ्रेंच बैंकरों के साथ मिलकर स्विट्जरलैंड में सेंट्रल बैंक की स्थापना की थी ताकि नाज़ी जंग की मशीन को धन दिया जा सके। टाइम मैगजीन ने बार–बार बेनिटो मुसोलिनी की तस्वीर को अपने कवर पृष्ठ पर छापा और यह प्रचार किया कि अमरीका और यूरोप को आर्थिक संकट से बाहर निकालने के लिए फासीवाद ही सही रहता है।

1930 के दशक में दुनिया के बाज़ारों और प्रभाव क्षेत्रों को फिर से बांटने के लिए एक नया साम्राज्यवादी जंग शुरू हो गया। जर्मनी, जापान और इटली अपने–अपने बाज़ारों और प्रभाव क्षेत्रों का विस्तार करने की कोशिश कर रहे थे। पुरानी उपनिवेशवादी ताक़तें, ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी को सोवियत संघ के ख़िलाफ़ तथा जापान को चीन और सोवियत संघ के ख़िलाफ़ भड़काने की सोची–समझी नीति को अपनाया, ताकि वे सभी देश आपस में लड़–लड़ कर कमज़ोर हो जाएंगे। ब्रिटेन और फ्रांस की योजना थी कि वे उन देशों को कमज़ोर करके, उसके बाद जंग में प्रवेश करेंगे और विजेता बनकर निकलेंगे।

शेष पृष्ठ 8 पर

बिजली के निजीकरण के ख़िलाफ़ संघर्षों पर लेख श्रृंखला (भाग – 2)

बिजली–आपूर्ति का संकट और उसका असली कारण

देश के बहुत से स्थानों में बिजली की कमी की गंभीर समस्या है क्योंकि थर्मल पॉवर प्लांटों (ताप बिजलीघरों) के पास आवश्यक बिजली–उत्पादन के लिए पर्याप्त कोयला नहीं है। इजारेदार–नियंत्रित मीडिया इस बात को लेकर भ्रम पैदा कर रही है कि बिजली की कमी के लिए कौन और क्या ज़िम्मेदार है। सार्वजनिक क्षेत्र की कोल इंडिया लिमिटेड (सी.आई.एल.), को पर्याप्त कोयले का उत्पादन न करने के लिए दोषी ठहराया जा रहा है और भारतीय रेल को कोयले को थर्मल पावर प्लांटों तक तुरंत न पंहुचाने के लिए, दोषी ठहराया जा रहा है। बिजली मंत्री ने संकट के लिए यूक्रेन में चल रहे युद्ध को ज़िम्मेदार ठहराया है, लेकिन संकट तो युद्ध के पहले, अक्तूबर 2021 से ही मौजूद था।

बिजली उत्पादन और कोयला उत्पादन का निजीकरण ही इस संकट की जड़ है।

बिजली उत्पादन का निजीकरण

बिजली उत्पादन के निजीकरण के कार्यक्रम को लागू करने का नतीजा है कि मार्च 2022 तक हिन्दोस्तान में बिजली की स्थापित उत्पादन क्षमता का 49 प्रतिशत अब निजी क्षेत्र में है।

निजी इजारेदारों के स्वामित्व वाले अधिकांश थर्मल पॉवर प्लांट आयात किये गए कोयले से चलते हैं। पिछले कुछ वर्षों में अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कोयले की क़ीमतों में तेज़ी आई है।

अधिक से अधिक मुनाफ़ा बनाने की लालच के कारण, थर्मल पॉवर प्लांटों के मालिक इजारेदार पूंजीपतियों ने कोयला आयात करके बिजली पैदा करने और सरकार के स्वामित्व वाली बिजली–वितरण कंपनियों के साथ पहले से किये गए करार के अनुसार तय की गयी दरों पर बिजली आपूर्ति करने से इनकार कर दिया। इस तरह उन्होंने जानबूझकर बिजली की कमी की हालतें पैदा कीं। बिजली उत्पादन में भारी कमी पैदा करने की अपनी इस भूमिका को सही ठहराने के लिए, इन इजारेदार पूंजीपतियों ने मीडिया के माध्यम से लगातार यह प्रचार अभियान चलाया है कि वे घाटे में चल रहे हैं और राज्य बिजली बोर्डों द्वारा उन्हें भुगतान की जाने वाली क़ीमतों में सरकार को वृद्धि करनी चाहिए।

6 मई को सरकार ने बिजली अधिनियम की धारा 11 को लागू किया, जिसके तहत उसने आयातित कोयले से चलने वाले सभी थर्मल पॉवर प्लांटों को बिजली पैदा करने के लिए कहा। साथ ही, सरकारी आदेश ने इन इजारेदार पूंजीपतियों की उस मांग को भी मंजूरी दी कि राज्य उन्हें बिजली पैदा करने के लिए गारंटी किया गया मुनाफ़ा सुनिश्चित करेगा। इसीलिये सरकार ने घोषणा की कि आयात किये जाने वाले कोयले पर चलने वाले थर्मल पॉवर प्लांटों द्वारा उत्पादित बिजली के लिए नयी दरें एक समिति द्वारा तय की जाएंगी जिसमें बिजली मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण और केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग शामिल होंगे।

हिन्दोस्तान में आयात किये जाने वाले कोयले पर चलने वाले थर्मल पॉवर प्लांटों की कुल बिजली उत्पादन क्षमता 17,600 मेगावाट है। हालांकि इस समय केवल 10,000 मेगावाट बिजली का ही उत्पादन किया जा रहा है। पूंजीपति मालिकों का दावा है कि आयात किये जाने वाले कोयले की क़ीमत इतनी बढ़ गई है कि अगर उन्हें वितरण कंपनियों को पहले से तय की गयी दरों पर बिजली की आपूर्ति करनी पड़ी तो वे मुनाफ़ा नहीं कमा पायेंगे। सरकार द्वारा दरों में वृद्धि की उनकी मांगों को पूरा करने के बाद, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में एस्सार पावर, कोस्टल एनर्जी, सी.एल.पी. इंडिया और आई.एल. एंड एफ.एस. के थर्मल पॉवर प्लांटों में बिजली उत्पादन में वृद्धि की उम्मीद की जा रही है।

इस बीच आयातित कोयले से थर्मल पॉवर प्लांटों को चलाने वाली दो बड़ी कंपनियों – टाटा पावर और अदानी पावर से भी अपेक्षा की जा रही है कि वे बिजली उत्पादन शुरू कर देंगी। गौरतलब, इन कंपनियों ने दो साल पहले अपने प्लांट इसीलिये बंद कर दिये थे, क्योंकि वे पहले से तय की गयी शर्तों पर राज्य–वितरण कंपनियों को बिजली की आपूर्ति करने के लिए राज़ी नहीं थीं।

ये सभी प्लांट, सरकार द्वारा तय की गई नई दरों पर ही बिजली–ख़रीद समझौता करने वालों को बिजली की सप्लाई करेंगे।

इस तरह, बिजली क्षेत्र में इजारेदार पूंजीपति उपभोक्ताओं का भारी नुक्सान करके अपने लिए मोटा मुनाफ़ा सुनिश्चित कर रहे हैं।

कोयला खनन का निजीकरण

अप्रैल 2022 में, राज्य के स्वामित्व वाली कोल इंडिया लिमिटेड ने कोयले के अपने उत्पादन लक्ष्य को 100 प्रतिशत पूरा किया। जबकि इजारेदार पूंजीवादी समूहों – अदानी, जिंदल और बिड़ला के स्वामित्व वाली निजी कंपनियों ने अपने लक्ष्य का 50 प्रतिशत से भी कम उत्पादन किया।

कोयला ख़नन क्षेत्र में इन इजारेदार पूंजीपतियों ने जानबूझकर अपनी खदानों को आधी से भी कम क्षमता पर चलाया और थर्मल बिजली उत्पादन क्षेत्र में इजारेदार पूंजीपतियों ने अत्यधिक ऊंची क़ीमतों का हवाला देते हुए कोयले के आयात को बंद कर दिया। इस तरह से, थर्मल पावर प्लांटों को चलाने के लिए कोयले की सख़्त कमी की हालतें जानबूझकर बनाई गई।

इन इजारेदार पूंजीपतियों ने जानबूझकर बिजली की सख़्त कमी की हालतें इसीलिये पैदा कीं क्योंकि वे अपने थर्मल पॉवर प्लांटों में पैदा की जाने वाली बिजली की ख़रीद के लिए, टैरिफ बढ़ाना चाहते थे और यह भी चाहते थे कि विदेशों में उनकी अपनी निजी खदानों से कोयले के आयात को प्राथमिकता दी जाये।

पिछले एक दशक और उससे भी अधिक समय से, सबसे बड़े इजारेदार पूंजीपतियों में से कुछ ने, जिनके पास बिजली पैदा करने वाली कंपनियां हैं, उन्होंने विदेशों में कोयला खदानें ख़रीदी हैं। टाटा स्टील ने मोज़ाम्बीक में कोयला खदानों में निवेश किया है और टाटा पावर ने इंडोनेशिया में कोयला खदानों में निवेश किया है। अदानी का ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में कोयला खदानों में बड़ा निवेश है। जिंदल स्टील एंड पावर और एस्सार एनर्जी दोनों ने मोज़ाम्बीक में कोयला खदानों में निवेश किया है। जी. वी.के. ग्रुप का ऑस्ट्रेलिया में कोयले में निवेश है। ये सभी इजारेदार पूंजीपति, इन खदानों से हिन्दोस्तान को कोयला बेचकर भारी मुनाफ़ा कमा रहे हैं।

इससे पहले अप्रैल में, केंद्र सरकार ने यह घोषणा की थी कि सरकारी स्वामित्व वाले संयंत्रों सहित, हिन्दोस्तान के सभी थर्मल पावर प्लांटों को कोल इंडिया द्वारा उत्पादित कोयले के साथ मिश्रित करने के लिए आयात किये जाने वाले कोयले का कम से कम 10 प्रतिशत उपयोग करना चाहिए। इसके बाद राज्य सरकारों ने कोयला आयात करने की योजना की घोषणा की। महाराष्ट्र ने घोषणा की है कि वह 1 करोड़ टन कोयले का आयात करेगा। गुजरात ने दस लाख टन का ऑर्डर दे दिया है। तमिलनाडु ने घोषणा की कि वह 15 लाख टन आयात करेगा और अपने थर्मल प्लांटों में 20 प्रतिशत हिस्सा, आयात किये जाने वाले कोयले का उपयोग करेगा। कुल मिलाकर, इन तीनों राज्यों में देशभर में बिजली की कुल मांग का एक तिहाई हिस्सा है। केंद्र सरकार ने कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा की राज्य सरकारों से भी कुल एक करोड़ टन कोयले का आयात करने को कहा है। पंजाब 6.25 लाख टन आयात करने पर राज़ी हो गया है।

इतने बड़े पैमाने पर कोयले का आयात करने के निर्णय को एक सख़्त ज़रूरत के रूप में पेश किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि उसके पास और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि कोल इंडिया द्वारा कोयले की पर्याप्त आपूर्ति नहीं की जा रही है।

लेकिन सच्चाई तो यह है कि एक के बाद एक, सभी सरकारें जानबूझकर कोल इंडिया के निजीकरण और उसे बर्बाद करने की नीति अपनाती रही हैं। यह सब कोयला खनन और ऊर्जा क्षेत्र में पूंजीवादी इजारेदारों के हित में उनके मंसूबों को पूरा करने के लिये किया जा रहा है। लेकिन निजीकरण के ख़िलाफ़, कोयला मज़दूरों के बहादुर संघर्ष ने पूंजीपतियों की योजनाओं पर पानी फेर दिया है।

कोयले के बढ़ते आयात से अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कोयले के मूल्य में बड़ी वृद्धि होने की उम्मीद है, क्योंकि हिन्दोस्तान दुनिया में कोयले का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है।

हिन्दोस्तानी इजारेदार पूंजीपति जिनके पास विदेशों में निजी कोयला खदानें हैं, उन्हें इससे भारी मुनाफ़ा होगा। हिन्दोस्तान के लोगों को बिजली के लिए बहुत अधिक टैरिफ का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जाएगा। सरकार के स्वामित्व वाले सभी थर्मल पावर प्लांटों को आयात किया जाने वाला कोयला खरीदने के लिए मजबूर कर, सरकार इजारेदार पूंजीपतियों की अधिकतम मुनाफ़ा बनाने की लालच को पूरा कर रही है।

रेल परिवहन

इजारेदार नियंत्रित मीडिया, भारतीय रेल को कथित तौर पर थर्मल पावर प्लांटों को कोयले की समय पर सप्लाई सुनिश्चित करने में विफल रहने के लिए दोषी ठहरा रहा है।

लेकिन सच्चाई तो यह है कि दिन–रात मेहनत कर रहे रेल मज़दूर असलियत में यह सुनिश्चित करते आ रहे हैं कि खदानों से थर्मल पावर प्लांटों तक कोयले को कम से कम समय में पहुंचाया जाए।

कोयले के परिवहन के लिए रेलवे 113,880 वैगनों का उपयोग कर रहा है – खुले वैगनों की कुल संख्या का 86 प्रतिशत। रोज़ाना करीब 28,470 वैगन लोड किए जा रहे हैं। तेज़ी से परिवहन सुनिश्चित करने के लिए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और ओडिशा के कोयला उत्पादक राज्यों में 122 स्थानों से, एक के बाद एक तुरंत तीन से पांच ट्रेनें भेजी जा रही हैं। प्रत्येक कोयला ट्रेन में लगभग 84 वैगन होते हैं। रेलवे ने कोयला ट्रेनों की तेज़ आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए कई पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द कर दिया है।

2021–22 में रेलवे ने 65.3 करोड़ टन कोयले का परिवहन किया, जो 2020–21 की तुलना में लगभग 20.4 प्रतिशत अधिक है। रेलवे द्वारा परिवहन किए गए 65.3 करोड़ टन कोयले में से लगभग 83 प्रतिशत या लगभग 54.04 करोड़ टन, थर्मल पावर प्लांटों के लिए था। निजीकरण के समर्थकों के झूठे प्रचार के बावजूद रेल कर्मचारी, मौजूदा संकट में कोयला खदानों से कोयले की ढुलाई का एक बेहतरीन उदाहरण बनकर काम कर रहे हैं।

निष्कर्ष

मौजूदा बिजली संकट किसी भी क़ीमत पर जनता से ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफ़ा कमाने की इजारेदार पूंजीपतियों की हवस का नतीजा है। ये संकट देश की अर्थव्यवस्था की वर्तमान दिशा का अवश्यंभावी परिणाम है, जिसका मक़सद है लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने की बजाय इजारेदार पूंजीपतियों की लालच की हवस को पूरा करना। यह बिजली उत्पादन और कोयला खनन के निजीकरण के कार्यक्रम का नतीजा है, जिसका उद्देश्य सामाजिक उत्पादन की इन ज़रूरी शाखाओं को, हिन्दोस्तानी और विदेशी इजारेदार पूंजीपतियों के लिए, अधिकतम निजी मुनाफ़ों के स्रोतों में परिवर्तित करना है।

http://hindi.cgpi.org/22135

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी का हिन्दी पाक्षिक अख़बार

मज़दूर एकता लहर

वार्षिक शुल्क 150 रुपये, कृपया मनीआर्डर निम्न पते पर भेजिये : श्री मधुसूदन कस्तूरी, ई–392, संजय कालोनी, ओखला फेस–2, नई दिल्ली–110020

मज़दूर एकता लहर को मनीआर्डर से पैसा भेजने वाले सभी पाठकों से अनुरोध है कि पैसा भेजने के बाद हमें, इस नम्बर 09810167911] 9868811998 पर फोन करके सूचित करें तथा एस.एम.एस. करें। ई-मनीआर्डर भेजते समय फार्म में अपना पता पूरा और साफ-साफ भरें।

मई दिवस पर सभी देशों के मज़दूरों ने अपना गुस्सा प्रकट किया

1 मई, 2022 को पूरी दुनिया में मज़दूरों ने विरोध मार्च और रैलियां कीं जो कि पूंजीवाद और पूंजीपति वर्ग के शासन के ख़िलाफ़ अपने अधिकारों के लिए संघर्ष में अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारा वर्ग की एकता का प्रतीक है। तुर्की सहित कुछ देशों में सशस्त्र पुलिस के साथ संघर्ष हुआ।

बैनर, पोस्टर और जुझारू नारों के साथ मज़दूरों ने बढ़ती बेरोज़गारी और आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती क़ीमतों के ख़िलाफ़ अपना गुस्सा व्यक्त किया। उन्होंने अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में इजारेदार पूंजीवादी घरानों के बढ़ते वर्चस्व और सामाजिक सेवाओं में कटौती की निंदा की। अलग–अलग बहाने देकर सामूहिक विरोध का दमन किये जाने की उन्होंने निंदा की, इन बहानों में कोविड वायरस से लड़ने का बहाना भी शामिल था। उन्होंने सैन्यीकरण और साम्राज्यवादी युद्धों और नस्लवाद, सांप्रदायिकता और सभी प्रकार के भेदभाव व उत्पीड़न के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। उन्होंने पूंजीवादी शोषण, साम्राज्यवादी वर्चस्व, राष्ट्रीय उत्पीड़न और युद्ध के ख़िलाफ़ अपने संघर्ष में अन्य सभी देशों के मज़दूरों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त की।

इस वर्ष देश के विभिन्न हिस्सों में हजारों विरोध प्रदर्शन, रैलियां और समारोह आयोजित

किए गए। कार्यकर्ताओं ने संयुक्त कार्यों में भाग लिया जिसमें सभी यूनियनों ने पार्टी और फेडरेशन के संबंधों से ऊपर उठकर अपनी भागीदारी दिखाई। मई दिवस की गतिविधियों में भाग लेने वालों में भारतीय रेल, सड़क परिवहन निगम, शिपिंग, बंदरगाह और डॉक, राज्य बिजली बोर्ड, बैंक और बीमा कंपनियां, मोटरवाहन उद्योग, कपड़ा और परिधान उद्योग, रक्षा निर्माण इकाइयों, अस्पतालों, सार्वजनिक स्वास्थ्य योजनाओं, विश्वविद्यालयों, कॉलेज और स्कूल के कार्यकर्ता शामिल थे।

मज़दूर संगठनों के प्रवक्ताओं ने निजीकरण, विनिवेश और सार्वजनिक–निजी भागीदारी के बैनर तले हिन्दोस्तानी और विदेशी निजी कंपनियों को बहुमूल्य सार्वजनिक संपत्ति को बेचने की निंदा की। उन्होंने चार श्रम संहिताओं की निंदा की जो मज़दूरों को उनके अधिकारों से वंचित करने और उनके शोषण को और तेज़ करने के लिए लागू की गई हैं। उन्होंने मज़दूरों के अधिकारों की मान्यता के बिना अल्पकालिक अनुबंधों पर काम पर रखने की व्यापक प्रथा को ख़त्म करने की मांग की। उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में राज्य द्वारा आयोजित सांप्रदायिक हिंसा की निंदा की और कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने और एक वर्ग के रूप में अपनी लड़ाई के साथ एकता की रक्षा करने की चेतावनी दी।

नई दिल्ली में सभी प्रमुख ट्रेड यूनियनों और फेडरेशनों के कार्यकर्ताओं ने पुराने शहर की भीड़–भाड़ वाली सड़कों से निकलते हुये मई दिवस पर एक संयुक्त जुलूस में भाग लिया, यह जुलूस रामलीला मैदान से शुरू हुआ और टाउन हॉल पर एक जनसभा के बाद समाप्त हुआ। पुरानी दिल्ली में रहने वाले लोगों ने जुलूस का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। जुलूस और जनसभा का आयोजन – अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन सेंटर (एटक), मज़दूर एकता कमेटी (एम.ई.सी.), सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स (सीटू), ऑल–इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस (ए.आई.सी.सी.टी.यू.), ऑल–इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर (ए.आई.यू.टी.यू.सी.), यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस (यू.टी.यू.सी.), इंडियन काउंसिल आफ ट्रेड यूनियन (आई.सी.टी.यू.), ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर (टी.यू.सी.सी.), सेल्फ इप्लाईड वुमेन एसोसियेशन (सेवा) और लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन (एल.पी.एफ.) द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था।

किसान यूनियनों ने इस वर्ष मज़दूरों के मई दिवस के कार्यक्रमों को पूरे उत्साह और दिल से समर्थन दिया।

http://hindi.cgpi.org/22075

मई दिवस 2022 :

वी.एच.एस. अस्पताल के मज़दूरों ने भाईचारा बनाने की शपथ ली

चेन्नई शहर और आसपास के औद्योगिक इलाकों में मज़दूरों ने जोश के साथ अपनी फैक्ट्रियों के फाटकों पर लाल झंडे फहराये और मई दिवस की रैलियां व सभाएं कीं।

वी.एच.एस. अस्पताल परिसर के प्रवेश को यूनियन के कार्यकर्ताओं ने लाल झंडियों से सजाया था। मज़दूर यूनियन के नेता कामरेड मनीदासन ने मई दिवस का झंडा फहराया और सभी मज़दूरों को मई दिवस की शुभकामनायें दीं। उन्होंने ज़ोर दिया कि आज हमारी आजीविका पर हमले हो रहे हैं और सभी साथियों को संघर्ष के लिये और भी लामबंध होने की ज़रूरत है। उन्होंने घोषणा की कि केवल अपनी एकता के बल पर ही हम अपनी मांगों को पूरा कर सकते हैं।

वर्कर्स यूनिटी मूवमेंट के कामरेड भास्कर ने मई दिवस पर सभी मज़दूरों को संबोधित किया। उन्होंने ध्यान दिलाया कि मज़दूरों पर हमलों के लिये शासक वर्ग ज़िम्मेदार है। एक पर हमला सब पर हमला है, इस पर विश्वास के साथ हमें एकताबद्ध होकर अपने अधिकारों के लिये संघर्ष करना होगा। उन्होंने सभी मज़दूरों को अपनी मांगों के संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिये एकजुट होने के तात्कालिक कार्यभार में सहभाग लेने का बुलावा दिया। उन्होंने वहां मौजूद सभी मज़दूरों को आश्वासन दिया कि अधिकारों की रक्षा के लिये मज़दूरों के सभी संघर्षों में वर्कर्स यूनिटी मूवमेंट अग्रिम पंक्ति में रहेगा। उन्होंने कहा कि अपनी सभी समस्याओं के समाधान के लिये एक ही रास्ता है कि मज़दूर वर्ग राज्य सत्ता को छीनकर अपने हाथों में ले।

मई दिवस की सभा के समापन में वहां मौजूद सभी मज़दूरों ने प्रतिज्ञा ली कि वे मज़दूर एकता को मजबूत करेंगे और अपने अधिकारों के संघर्ष को जारी रखेंगे।

http://hindi.cgpi.org/22093

बिजली का निजीकरण जन–विरोधी

पृष्ठ 1 का शेष

बिजली आपूर्ति प्राप्त करने के लोगों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।

हिन्दोस्तानी सरकार इस मुद्दे पर मज़दूरों के प्रतिनिधियों से चर्चा करने से इंकार कर रही है। यह दिखाता है कि बिजली आपूर्ति के निजीकरण के ख़िलाफ़ मज़दूरों के अकाट्य तर्कों का पूंजीपति वर्ग के पास कोई मुमकिन जवाब नहीं है।

1990 के दशक में बिजली उत्पादन के क्षेत्र में निजीकरण का कार्यक्रम शुरू हुआ। अधिकारियों द्वारा विभिन्न हिन्दोस्तानी और विदेशी निजी कंपनियों के साथ दीर्घकालिक बिजली ख़रीद–समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसके द्वारा बिजली उत्पादन में निवेश करने वाले इजारेदार पूंजीपतियों को भारी निजी मुनाफ़ा प्राप्त हुआ। इन समझौतों का नतीजा था कि राज्य बिजली बोर्डों को बिजली ख़रीदने के लिए निजी कंपनियों को बहुत भारी क़ीमतें देनी पड़ीं। इसके फलस्वरूप, उन दरों में भी भारी वृद्धि हुई, जो किसानों और शहरी मज़दूरों को बिजली के लिए भुगतान करना पड़ता था।

केंद्र सरकार के प्रवक्ता और विभिन्न पूंजीवादी अर्थशास्त्रियों का दावा है कि बिजली वितरण के निजीकरण से ग्राहकों को विभिन्न कंपनियों के बीच चयन करने की आज़ादी मिलेगी। उनका दावा है कि यह क़दम एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा लाएगा, जिससे सस्ती दरों पर अधिक कुशल और विश्वसनीय बिजली की आपूर्ति होगी।

वितरण के निजीकरण का अब तक का अनुभव इन समर्थकों के दावों की पुष्टि नहीं करता है। उदाहरण के लिए, मुंबई शहर में बिजली की आपूर्ति करने वाली दो निजी कंपनियां और एक सार्वजनिक कंपनी है, परन्तु उस शहर में बिजली की दरें देश में सबसे ज्यादा हैं। दिल्ली में अलग–अलग क्षेत्रों में बिजली, टाटा और रिलायंस के इजारेदार पूंजीवादी घरानों की मालिकी वाली दो अलग–अलग कंपनियों के नियंत्रण में हैं। कोई भी परिवार अपनी पसंद की बिजली वितरण कंपनी का चयन नहीं कर सकता। वे इस या उस निजी इजारेदार कंपनी की दया पर ही निर्भर हैं।

बिजली संशोधन विधेयक का उद्देश्य, निजी कंपनियों के लिए कम जोखिम के साथ, उच्चतम मुनाफ़े कमाने का अवसर पैदा करना है, उनको बुनियादी ढांचे में अपनी पूंजी को निवेश करने की ज़रूरत के बिना, केवल मुनाफ़े कमाने का मौका प्रदान करना है। इसमें एक खंड शामिल है जिसमें कहा गया है :

"एक वितरण कंपनी, आपूर्ति के एक ही क्षेत्र में, पंजीकृत सभी वितरण कंपनियों को अपनी वितरण–प्रणाली के माध्यम से गैर–भेदभावपूर्ण पहुंच प्रदान करेगी ..."।

इसका मतलब यह हुआ कि जनता के पैसे से बनाया गया विशाल नेटवर्क, जो इस समय राज्य बिजली बोर्डों के नियंत्रण में है, उसे बड़े पूंजीपतियों को लगभग मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा।

मज़दूर–यूनियनों ने बार–बार इस बात पर ज़ोर दिया है कि यह विधेयक मज़दूरों, किसानों और कम आय वाले अन्य उपभोक्ताओं की ज़रूरतों की आपूर्ति करने की बजाय, निजी कंपनियों के हितों की सेवा करने के लिए बनाया गया है। बिजली वितरण को लाइसेंस–मुक्त करने का मतलब है पूंजीवादी कंपनियों को अपने ग्राहकों को चुनने की आज़ादी और उनसे ऊंची दरें वसूलने की आज़ादी।

बिजली संशोधन बिल के विरोध में, किसान यूनियनों ने मज़दूर यूनियनों से हाथ मिला लिया है। उन्हें एहसास है कि उनके पानी के पंप चलाने के लिए बिजली बहुत महंगी हो जाएगी।

राज्य बिजली बोर्डों के कर्मचारियों ने शहरी परिवारों को बिजली उत्पादन और वितरण दोनों के निजीकरण के हानिकारक नतीजों के बारे में शिक्षित करना शुरू कर दिया है।

बिजली मज़दूरों के संघर्ष को अर्थव्यवस्था की सभी शाखाओं के मज़दूरों का तहे दिल से समर्थन मिलना चाहिए। इस संघर्ष को उन सभी का समर्थन मिलना चाहिए, जो हमारे समाज के भविष्य के बारे में चिंतित हैं। वर्तमान में, हमारे समाज को इजारेदार पूंजीपतियों और उनकी खुदगर्ज पार्टियों द्वारा एक ख़तरनाक रास्ते पर ले जाया जा रहा है।

निजीकरण के ख़िलाफ़ संघर्ष, इजारेदार घरानों के नेतृत्व में पूंजीपति वर्ग के ख़िलाफ़ मज़दूरों, किसानों और अन्य मेहनतकश लोगों का संघर्ष है। अधिकतम मुनाफे के भूखे, इजारेदार पूंजीपतियों की लालच से समाज को मुक्त कराने के दृष्टिकोण से इस संघर्ष को सशक्त बनाना होगा। इसके लिए मज़दूर वर्ग को राजनीतिक सत्ता अपने हाथों में लेने और बड़े पैमाने पर उत्पादन के साधनों के स्वामित्व का सामाजीकरण करने की आवश्यकता है। ऐसा करके ही, अर्थव्यवस्था को नयी दिशा दिलाई जा सकेगी, जिसका उद्देश्य होगा समाज के सभी सदस्यों के सम्मानजनक मानव जीवन के लिए सभी आवश्यक ज़रूरतों को पूरा करना।

http://hindi.cgpi.org/22129

दिल्ली में सरकार के बुलडोजर अभियान का ज़बरदस्त विरोध

राजधानी दिल्ली में बीते कुछ हफ़्तों से सरकार जगह–जगह पर बुलडोजर भेजकर, मेहनतकशों के घर–बार और रोज़ी–रोटी के साधनों को उजाड़ने का एक क्रूर अभियान चला रही है। यह अभियान "अतिक्रमण" को हटाने और "शहरी विकास" के नाम पर चलाया जा रहा है। वास्तव में यह शहर के मज़दूरों–मेहनतकशों के अधिकारों पर एक बेरहम हमला है।

इस अभियान के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए 11 मई, 2022 को दिल्ली में कम्युनिस्ट पार्टियों और अनेक जन संगठनों ने मिलकर उपराज्यपाल के घर पर ज़ोरदार विरोध प्रदर्शन किया।

इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में मज़दूर, नौजवान, छात्र, महिला और अध्यापक शामिल हुये। तोड़ी गई कई बस्तियों के पीड़ित लोगों ने भी प्रदर्शन में भाग लेकर, सरकार के ख़िलाफ़ अपना आक्रोश प्रकट किया।

प्रदर्शनकारियों ने अपने हाथों में प्लाकार्ड पकड़े थे, जिन पर लिखा था – 'अतिक्रमण के नाम पर लोगों की रोज़ी–रोटी और घर–बार उजाड़ना बंद करो!', 'आवास और रोज़गार के अधिकार की संवैधानिक गारंटी दो!', 'बुलडोजर की नीति नहीं चलेगी!', 'पूंजीवादी शोषण के ख़िलाफ़ एकजुट हों!', आदि।

प्रदर्शन में भाग लेने वाली कम्युनिस्ट और वाम पार्टियां थीं – भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी),

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माले–लिबरेशन), रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी और ऑल इंडिया फारवर्ड ब्लाक। इसके अलावा, कई जन संगठनों, छात्र, नौजवान और महिला संगठनों ने विरोध प्रदर्शन में बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया। इनमें शामिल थे – आल इंडिया डेमोक्रेटिक विमेंस एसोसियेशन, आल इंडिया प्रोग्रेसिव विमेंस एसोसियेशन, सहेली, अनहद, आल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसियेशन, स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, आल इंडिया यूथ फेडरेशन, डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया, रेवोल्यूशनरी यूथ एसोसियेशन, डेमोक्रेटिक टीचर्स फेडरेशन, क्रांतिकारी युवा केन्द्र, संघर्षशील महिला केन्द्र, आदि।

कई सहभागी संगठनों के प्रतिनिधियों ने प्रदर्शन को संबोधित किया।

सरकार द्वारा मज़दूरों–मेहनतकशों पर बेरहम हमले की भर्त्सना करते हुए, वक्ताओं ने यह स्पष्ट किया कि "अवैध बस्तियों" और "अतिक्रमण" को हटाने के नाम पर चलाया जा रहा यह अभियान हमारे अधिकारों का सरासर हनन है। हक़ीक़त तो यह है कि हुक्मरान सरमायदार वर्ग और उसकी राजनीतिक पार्टियों के नेतागण ही इन झुग्गी–झोपड़ी कालोनियों को बसाते हैं, जहां मज़दूरों को अमानवीय हालतों में बिना पीने का पानी, शौच प्रबंध, सीवर आदि के जीने को मजबूर किया जाता है। हुक्मरान सरमायदार और उनकी राजनीतिक पार्टियां झुग्गी–झोपड़ियों को इसलिए बसाते हैं ताकि पूंजीपतियों को सस्ते श्रम का अनवरत स्रोत मिलता रहे। इन बस्तियों के निवासी हुक्मरान वर्ग व उसकी राज्य की मशीनरी और उसकी राजनीतिक पार्टियों की दया पर जीने को मजबूर होते हैं। जब–जब पूंजीपति वर्ग चाहता है, तब–तब सरकार इन झुग्गी–झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के घरों और संपत्तियों को उजाड़ देती है और उनकी ज़मीन को बड़े–बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स के हाथों सौंप देती है। इसके साथ–साथ, सरमायदारों की राजनीतिक पार्टियों द्वारा यह झूठा प्रचार फैलाया जाता है कि किसी खास समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, ताकि सभी मज़दूर एकजुट होकर उन मेहनतकशों की हिफ़ाज़त में आगे न आयें, जिनके घर तोड़े जा रहे हैं।

कई वक्ताओं से साफ़–साफ़ कहा कि हिन्दोस्तान में जो संघर्ष चल रहा है, यह अलग–अलग धर्मों के लोगों के बीच में संघर्ष नहीं है। यह शोषकों और शोषितों के बीच में संघर्ष है। मज़दूरों–मेहनतकशों को शोषण और दमन के ख़िलाफ़ एकजुट होकर संघर्ष करने के रास्ते से भटकाने के लिए, हुक्मरान धर्म के आधार पर नफ़रत फैलाने और लोगों को भड़काने की पूरी कोशिश करते रहते हैं।

पूंजीपति वर्ग द्वारा मज़दूरों–मेहनतकशों पर किये जा रहे बढ़ते हमलों के ख़िलाफ़ अपनी एकता और एकजुट संघर्ष को तेज़ करने के ज़ोरदार नारों के साथ, कार्यक्रम का समापन किया गया।

http://hindi.cgpi.org/22101

तमिलनाडु के अंबुर में मज़दूरों ने अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई

तमिलनाडु ट्रेड यूनियन सेंटर ने 7 मई, 2022 को अंबुर में एक विरोध प्रदर्शन किया। अंबुर और उसके आसपास की कंपनियों में चमड़ा, जूता और संबंधित वस्तुओं को बनाने का काम करने वाले सैकड़ों मज़दूरों ने इस प्रदर्शन में भाग लिया। इस मौके पर यूनियन ने मई दिवस भी मनाया। कामरेड दक्षिणमूर्ति ने जनसभा की अध्यक्षता की और संचालन किया।

तमिलनाडु ट्रेड यूनियन सेंटर के महासचिव कामरेड रूबन ने मई दिवस के अवसर पर मज़दूरों को सलामी दी। उन्होंने अंबुर और उसके आसपास के विभिन्न कारख़ानों में मज़दूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए यूनियन द्वारा किए गए संघर्ष के बारे में विस्तार से बताया।

विशेष रूप से उन्होंने एन.एम.जेड. कारख़ाने के मज़दूरों द्वारा किए गए लंबे संघर्ष पर ध्यान दिलाया। 15 साल के संघर्ष के बाद इन मज़दूरों ने अपनी कुछ मांगों पर जीत हासिल की है। हालांकि अदालत ने मज़दूरों के पक्ष में आदेश दिया है, लेकिन प्रबंधन मज़दूरों के बकाये का भुगतान करने से इनकार कर रहा है। कामरेड रूबन ने प्रबंधन के रवैये की निंदा की और मज़दूरों के सभी बकायों का तुरंत निपटारा करने की मांग की।

उन्होंने मज़दूरों के न्यूनतम वेतन को बढ़ाकर 30,000 रुपये प्रति माह करने की आवश्यकता पर भी ज़ोर दिया, ट्रेड यूनियनें लंबे समय से जिसकी मांग कर रही हैं। संकट के कारण, अंबुर इलाके में चमड़ा और संबंधित उत्पादों को बनाने वाली कई कंपनियां बंद हो गई हैं। अपनी नौकरियां गंवा चुके मज़दूर बहुत मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं। कारख़ानों को बंद करने वाले पूंजीपतियों ने उन्हें वे सारे भत्ते भी नहीं दिए हैं, जो नौकरी से निकाले जाने पर मज़दूरों को क़ानूनी तौर पर दिए जाने चाहियें। कामरेड रूबन ने मांग की कि

ये सभी उद्योग मज़दूरों के टर्मिनेशन के बकाये का भुगतान जल्द से जल्द करें।

अंबेडकर ट्रेड यूनियन के कामरेड प्रथबन, कर्नाटक में मांड्या से द्रविड़ियन सिटी मूवमेंट के कामरेड एच.एस. अभिलाष, डी.एम.के. के कामरेड राजेंद्र प्रसाद और वर्कर्स यूनिटी मूवमेंट के कामरेड भास्कर ने तमिलनाडु ट्रेड यूनियन सेंटर के अन्य साथियों के साथ सभा को संबोधित किया।

कामरेड भास्कर ने सभी मज़दूरों को क्रांतिकारी बधाई दी। अपने संक्षिप्त संबोधन में उन्होंने राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था की निंदा की, जिसके चलते, एन.एम.जेड. कारख़ाने के मज़दूरों को एक पीढ़ी से अधिक के लिए साधारण लाभ से भी वंचित कर दिया गया है। जबकि मज़दूर भयानक परिस्थितियों में रहते हैं, अपने परिवारों को खाना खिलाने में असमर्थ हैं, तो पूंजीपति हिन्दोस्तानी राज्य और उसकी संस्थाओं के समर्थन से धन इकट्ठा करते हैं। अदालत द्वारा मज़दूरों के पक्ष में फ़ैसला सुनाए जाने और पूंजीपतियों को उनके बकाये का भुगतान करने का आदेश दिये जाने के बाद भी, पूंजीपति मज़दूरों को उनके बकाये का भुगतान करने से बेशर्मी से इनकार करते रहते हैं। उन्होंने सोवियत संघ में, अक्तूबर क्रांति के ज़रिये राजनीतिक सत्ता हासिल करने के बाद मज़दूरों और किसानों की उन्नत जीवन स्थिति की व्याख्या की। अब समय आ गया है कि हम हिन्दोस्तानी मज़दूर एकजुट होकर हिन्दोस्तान में मज़दूरों और किसानों का शासन स्थापित करने के लिए संघर्ष करें।

ट्रेड यूनियन सेंटर द्वारा आयोजित मई दिवस का प्रदर्शन बहुत ही उत्साहपूर्ण माहौल में समाप्त हुआ। प्रतिभागियों ने मज़दूरों की जुझारू एकता को और मजबूत करने और शोषण मुक्त हिन्दोस्तान के लिए लड़ने का संकल्प लिया।

http://hindi.cgpi.org/22123

भीषण अग्निकांड में मज़दूरों की मौत : आदमखोर पूंजीवादी व्यवस्था इसके लिये ज़िम्मेदार

पश्चिमी दिल्ली के मुंडका मेट्रो स्टेशन के निकट स्थित एक फैक्ट्री में 13 मई, 2022 के दोपहर को एक भयानक अग्निकांड में बड़ी संख्या में मज़दूरों की मौत हो गयी तथा सैकड़ों मज़दूर घायल हुए।

कंपनी में सी.सी.टी.वी. कैमरा और राउटर बनाने का काम होता था। इन उपकरणों के बनाने में काफी ज्वलनशील वस्तुओं का इस्तेमाल होता है।

सभी प्राप्त सूचनाओं से यह स्पष्ट है कि यह कंपनी सरकार द्वारा स्थापित फैक्ट्री क़ानूनों का खुलेआम उल्लंघन करते हुए, चलाई जा रही थी।

यह कंपनी लाल डोरा ज़मीन पर बनाई गयी इमारत के अन्दर चलायी जा रही थी। जो सरकारी नियमों के अनुसार गैर–क़ानूनी है। कंपनी बिना किसी एन.ओ.सी. के चलाई जा रही थी। कम्पनी मालिक द्वारा खुद ही दिए गए सर्टिफिकेट, कि सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मौजूद हैं, के आधार पर सरकार ने उसे चलाने की इजाज़त दे दी थी। कंपनी से बाहर निकलने के लिए एक ही पतला रास्ता था, जिस पर जनरेटर भी लगा हुआ था। इसके अलावा बाहर निकलने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसमें अग्नि सुरक्षा के मापदंडों का सरासर उल्लंघन हो रहा था। मज़दूरों की सुरक्षा की धज्जियां उड़ाई जा रही थीं।

मृतकों और घायलों की असली संख्या का अनुमान अभी तक नहीं लगाया जा पा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग लापता हैं, उनकी लाशें जलकर राख हो गयी हैं। समाचार सूत्रों के अनुसार, अधिकतर लाशें इतनी बुरी तरह जली हुयी हैं कि मृतकों की पहचान करना असंभव हो गया है।

चश्मदीद गवाहों के अनुसार, बहुत सी महिलाएं अपनी जान बचाने के लिए दूसरी

और तीसरी मंजिलों से नीचे कूद रही थीं। घायलों की संख्या भी सैकड़ों में अनुमान लगाया जा रहा है।

खबरों के अनुसार, उस फैक्ट्री में लगभग 300 महिलाएं, ज्यादातार नौजवान महिलाएं, 12–12 घंटों की पाली में ठेके पर काम कर रही थीं। उन्हें 6000–6500 रुपये प्रति माह के वेतन (जो कि सरकारी न्यूनतम वेतन, जो कि लगभग 16,000 रुपये है, इससे बहुत कम है) पर काम करने को मजबूर किया जाता था। मज़दूरों के वहां काम पर लगाये जाने के किसी भी प्रकार के रिकॉर्ड या मस्टर रोल नहीं थे। उन्हें ई.एस.आई., प्रोविडेंट फण्ड, आदि जैसी कोई सुविधाएं नहीं दी जा रही थीं। ज्यादातर मज़दूर उत्तर प्रदेश, बिहार और दूसरे इलाकों के गांवों से दिल्ली शहर में आकर, अपने और अपने परिवार के गुज़ारे के लिए, ऐसी अमानवीय हालत में काम करने को मजबूर हैं।

मुंडका की फैक्ट्री में यह अग्निकांड कोई आकस्मिक घटना नहीं है। दिल्ली और देश के अनेक शहरों में प्रशासन और पूंजीपतियों की मिलीभगत के साथ, लाखों–लाखों ऐसी फैक्ट्रियां चलायी जाती हैं, जिनमें करोड़ों–करोड़ों महिला और पुरुष किसी भी प्रकार की सुरक्षा के बिना, दो वक्त की रोटी के लिए अपनी जानों को जोखिम में डालकर काम करने को मजबूर हैं। इस प्रकार के अग्निकांड और फैक्ट्री दुर्घटनाएं बार–बार होती रहती हैं, परन्तु सरकार और प्रशासन के अधिकारी, जिनकी मिलीभगत के बिना ऐसी फैक्ट्रियां नहीं चल सकतीं, वे हर बार बच जाते हैं। उनकी न तो कभी कोई जवाबदेही होती और न ही उन्हें कभी सज़ा दी जाती है।

इस प्रकार के कांड वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था के वहशी, अमानवीय चहरे को बार–बार सामने लाते हैं। ये कांड राज्य और प्रशासन की गुनहगार गैर–ज़िम्मेदारी के परिणाम हैं। हमारे देश में और सारी दुनिया में मज़दूर सुरक्षित और स्वस्थ काम की हालतों के लिए संघर्ष करते आये हैं। परन्तु पूंजीवादी व्यवस्था के चलते, ज्यादा से ज्यादा मुनाफ़ों के लिए पूंजीपति शोषकों की लालच की वजह से, पूंजीपतियों के हितों की सेवा करने वाला हिन्दोस्तानी राज्य और सभी सरकारें मज़दूरों के इस मूलभूत अधिकार का खुलेआम हनन करती हैं। इसमें सरमयदारों की राजनीतिक पार्टियों और पूंजीपतियों व उनकी सरकारों की मिलीभगत होती है।

हिन्दोस्तानी राज्य देशी–विदेशी बड़े–बड़े इजारेदार पूंजीपतियों के हितों के लिए, सभी श्रम क़ानूनों को हटाकर, चार श्रम संहिताएं (लेबर कोड) पास कर चुकी है। इनके जरिये, मजदूरों को उन सभी अधिकारों से वंचित किया जायेगा, जिनके लिए उन्होंने सालों–सालों तक कठिन संघर्ष किये हैं। ठेका मजदूरी को ख़त्म करना, जीने लायक वेतन सुनिश्चित करना, कार्यस्थल पर सुरक्षा, काम के सीमित घंटे, यूनियन बनाने और अपने हक़ों के लिए आवाज़ उठाने का अधिकार, ये सब अहम मांगें हैं जिनके लिए मज़दूर संघर्ष करते आये हैं।

दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों के हाथ अग्निकांड में मारे गये मज़दूरों के खून से रंगे हुए हैं। सरकार और प्रशासन के उच्चतम पदों पर बैठे अधिकारियों को इसके लिए जवाबदेह ठहराना होगा। मज़दूर संगठनों की यह मांग पूरी तरह जायज़ है कि उन पर मुक़दमा चलाया जाना चाहिए और उन्हें सज़ा दी जानी चाहिए।

इस आदमखोर पूंजीवादी व्यवस्था की जगह पर एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करनी होगी जिसमें मज़दूरों और उनके काम की हालतों को "उत्पादन के खर्च को कम करने" के नज़र से नहीं देखा जायेगा। मज़दूरों और किसानों को अपने हाथों में राज्य सत्ता लेकर, पूंजीपतियों की लालच को नहीं, बल्कि लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने की नयी दिशा में अर्थव्यवस्था को संचालित करना होगा।

http://hindi.cgpi.org/22116

मुंडका अग्निकांड के ख़िलाफ़ दिल्ली के मज़दूरों ने विरोध प्रदर्शन किये :

मज़दूरों ने श्रम मंत्री को चेतावनी दी

दिल्ली की ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच की अगुवाई में, 17 मई की सुबह दिल्ली के श्रममंत्री के आवास पर एक ज़ोरदार विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया।

प्रदर्शन को संयुक्त रूप से आयोजित करने वाले संगठन थे – सेंटर ऑफ़ इंडियन ट्रेड यूनियंस (सीटू), हिन्द मजदूर सभा, मज़दूर एकता कमेटी, सेवा, आल इंडिया सेंट्रल कौंसिल ऑफ़ ट्रेड यूनियंस (ए.आई.सी.सी.टी.यू.), लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन (एल.पी.एफ.), इंडियन फेडरेशन ऑफ़ ट्रेड यूनियंस (इफ्टू) और इंडियन कौंसिल ऑफ़ ट्रेड यूनियंस (आई.सी.टी.यू.)।

मज़दूरों ने अपने हाथों में लिए बैनरों और प्लाकार्डों के ज़रिये अपने गुस्से को प्रदर्शित किया। उन पर लिखे नारे थे – 'मज़दूरों के हत्यारे दिल्ली सरकार और एम.सी.डी. जवाब दो!', 'पूंजीपति मालिकों और सरकारी एजेंसियों का गठजोड़ ही मज़दूरों की मौत के लिए ज़िम्मेदार है!, 'औद्योगिक दुर्घटनाओं का जिम्मेदार कौन – दिल्ली सरकार जवाब दो!' 'क्या मज़दूरों की जानें सस्ती हैं और सुरक्षा उपकरण महंगे हैं?', 'औद्योगिक क्षेत्रों में बढ़ती दुर्घटनाओं के लिए सरकारी एजेंसियां ज़िम्मेदार है!', आदि।

श्रम मंत्रालय और नगर–निगम के अधिकारियों, सरकार और पूरे राज्य प्रशासन को मुंडका अग्निकांड में मज़दूरों की मौत के लिए ज़िम्मेदार ठहराते हुए, क्रोधित मज़दूरों ने मृत मज़दूरों के परिजनों के लिए इंसाफ व मुआवज़े की मांग की तथा राज्य के अधिकारियों के लिए कड़ी से कड़ी सज़ा की मांग की। इसके साथ–साथ, प्रदर्शनकारी मज़दूरों ने सरकार से यह मांग की कि सख़्त क़दम उठाये जायें ताकि इस प्रकार के अग्निकांड व औद्योगिक दुर्घटनाएं फिर कभी न हों तथा मज़दूरों के सभी अधिकार सुनिश्चित किये जायें।

ट्रेड यूनियनों की ओर से श्रममंत्री को अपनी मांगों सहित एक ज्ञापन सौंपा गया।

शेष अंतिम पृष्ठ पर

मज़दूर एकता लहर का वार्षिक शुल्क और अन्य प्रकाशनों का भुगतान आप बैंक खाते और पेटीएम में भेज सकते हैं

आप वार्षिक ग्राहकी शुल्क (150 रुपये) सीधे हमारे बैंक खाते में या पेटीएम क्यूआर कोड स्केन करके भेजें और भेजने की सूचना नीचे दिये फोन या वाट्सएप पर अवश्य दें।

खाता नाम–लोक आवाज़ पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रिब्यूटर्स
बैंक ऑफ महाराष्ट्र, न्यू दिल्ली, कालका जी
खाता संख्या–20066800626, **ब्रांच नं.**–00974
IFSCode: MAHB0000974, मो.–9810167911
वाट्सएप और पेटीएम नं.-9868811998
email: mazdoorektalehar@gmail.com

मज़दूर एकता लहर

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट मज़दूर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अख़बार

RNI No.- 45893/86 Postal Regd. No. DL(S)-01/3177/2021-23

Posting Date at DLPSO, 1 & 2 June, 2022 Date of publish - 1 Jun, 2022

To .....
.....
.....
.....
.....
.....

स्वामी लोक आवाज़ पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रिब्यूटर्स के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक मधुसूदन कस्तूरी की तरफ से, ई–392 संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020, से प्रकाशित। शुभम इंटरप्राइजेज, 260 प्रकाश मोहल्ला, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली 110065 से मुद्रित। संपादक–मधुसूदन कस्तूरी, ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020
email : melpaper@yahoo.com, mazdoorektalehar@gmail.com, Mob. 9810167911

अवितरित होने पर इस पते पर वापस भेजें :
ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020

WhatsApp
9868811998

मज़दूरों ने श्रम मंत्री को चेतावनी दी

पृष्ठ 7 का शेष

दिल्ली सचिवालय पर विरोध प्रदर्शन

मुंडका की एक फैक्टरी में हुए भीषण अग्निकांड में मज़दूरों की मौत के ख़िलाफ़ अपना गुस्सा जाहिर करते हुए, अनेक मज़दूर संगठनों, महिला, युवा व छात्र संगठनों तथा जन संगठनों ने 17 मई को दिल्ली सचिवालय पर संयुक्त विरोध प्रदर्शन किया।

प्रदर्शन में भाग लेने वाले सभी संगठनों के प्रतिनिधियों ने मज़दूरों की इन अमानवीय हालतों और मज़दूरों की मौत

के लिए राज्य और सरकार को ज़िम्मेदार ठहराया। प्रदर्शनकारियों ने यह मांग की कि सभी ज़िम्मेदार अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाये और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाये। मज़दूरों के सभी अधिकार व कार्यस्थल पर सुरक्षा सुरक्षित किये जायें, उन्होंने इन मांगों सहित एक ज्ञापन दिल्ली सरकार के श्रममंत्री मनीष सिसोदिया को सौंपा।

विरोध प्रदर्शन को आयोजित करने वाले संगठन थे – आल इंडिया फेडरेशन ऑफ़ ट्रेड यूनियंस (एफ्टू)–न्यू, मज़दूर एकता कमेटी, इंडियन फेडरेशन ऑफ़ ट्रेड यूनियंस (इफ्टू), इंक़लाबी मज़दूर केन्द्र, मज़दूर एकता केन्द्र, प्रगतिशील महिला एकता केन्द्र, लोकपक्ष, इंडियन फेडरेशन ऑफ़ ट्रेड यूनियंस (इफ्टू)–सर्वहारा, मज़दूर सहयोग केन्द्र, दिल्ली पीपुल्स फोरम, आदि।

http://hindi.cgpi.org/22111

दूसरे विश्व युद्ध सबक

पृष्ठ 3 का शेष

अमरीका की रणनीति थी इन सब गतिविधियों को देखते रहना और जब बाकी सभी ताक़तों ने आपस में लड़कर खुद को थका दिया हो, उस समय जंग में प्रवेश करना, ताकि अमरीका खुद निर्विवादित नेता के रूप में उभर कर आ सके।

अमरीकी सेनेटर हैरी ट्रूमैन ने अमरीका की इस चतुर रणनीति का वर्णन किया था। सोवियत संघ पर नाज़ी हमले के ठीक बाद ट्रूमैन ने कहा था (न्यूयॉर्क टाइम्स 24 जून, 1941) कि : "अगर हमें लगता है कि जर्मनी जंग को जीत रहा है तो हमें रूस की मदद करनी चाहिए और अगर लगता है कि रूस जीत रहा है तो हमें जर्मनी की मदद करनी चाहिए ताकि उस तरह वे आपस में जितने लोगों की हत्या कर सकते हैं करें।" यूरोप में दूसरे विश्वयुद्ध के समाप्त होने के दिनों में अमरीकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूज़वेल्ट के देहांत के बाद, अप्रैल 1945 में ट्रूमैन अमरीका का राष्ट्रपति बना था।

अमरीका, ब्रिटेन और फ्रांस के इरादों को समझकर, सोवियत संघ ने जे.वी. स्टालिन के दूरदर्शी नेतृत्व में, खुद को हमले से बचाने की पूरी तैयारी कर ली। सोवियत संघ ने जर्मनी के साथ गैर–आक्रामकता संधि पर हस्ताक्षर करके, खुद के लिए आवश्यक समय हासिल किया। जर्मनी ने फ्रांस समेत, यूरोप के अधिकतम हिस्से पर हमला करके उस पर कब्ज़ा कर लिया। फिर जर्मनी ने ब्रिटेन पर बम बरसाना शुरू किया और उसके बाद, 1941 में सोवियत संघ के ख़िलाफ़ अपनी विशाल सैनिक ताक़त को लागू कर दिया। जापान ने चीन पर हमला करने के बाद, दक्षिण पूर्वी एशिया में ब्रिटिश, फ्रेंच और दूसरे देशों के उपनिवेशों पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया।

अमरीका ने जर्मनी और जापान के ख़िलाफ़ युद्ध में दिसंबर 1941 में ही प्रवेश किया जब जापान ने प्रशांत महासागर में पर्ल हारबर नामक अमरीकी नौसैनिक अड्डे पर हमला किया।

अमरीका ने दूसरे विश्वयुद्ध को समाजवादी सोवियत संघ को नष्ट करने और युद्ध के बाद की अवधि में अपने साम्राज्यवादी हितों को बढ़ावा देने के नज़रिए से देखा था। नाज़ी जर्मनी के ख़िलाफ़ जंग में शामिल होने के बाद भी अमरीका ने जे.वी. स्टालिन और सोवियत संघ के उस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया था, कि नाज़ियों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए पश्चिम यूरोप में एक दूसरा मोर्चा खोला जाए। अमरीका चाहता था कि जर्मनी अपनी पूरी सैनिक ताक़त को पूर्वी सीमा पर, सोवियत संघ के ख़िलाफ़ लामबंध करे, ताकि वे दोनों देश आपस में लड़कर कमजोर हो जाएं।

नाज़ी जर्मनी के ख़िलाफ़ जंग का पूरा बोझ सोवियत संघ को मजबूरन उठाना पड़ा। सोवियत संघ के 280 लाख लोगों ने उस जंग में अपनी जान की कुर्बानी दी थी। नाज़ी जर्मनी के 73 प्रतिशत सैनिक और 75 प्रतिशत हथियार सोवियत संघ व जर्मनी के बीच के युद्ध में नष्ट हुए थे। सोवियत संघ की लाल सेना ने न सिर्फ सोवियत संघ के कब्ज़ा किये हुए इलाकों को मुक्त कराया बल्कि उसने जर्मनी के अंदर तक प्रस्थान किया और रास्ते में सभी कब्ज़ा किये हुए देशों को भी मुक्त कराया।

जब यह स्पष्ट हो गया कि लाल सेना खुद, अकेले ही, पूरे यूरोप को नाज़ी फासीवाद के कब्ज़े से मुक्त करा देगी, तब बरतानवी–अमरीकी साम्राज्यवादियों ने 1944 में, यूरोप में नाज़ियों के ख़िलाफ़ एक दूसरा मोर्चा खोला। अमरीका की रणनीति थी कि जर्मनी और यूरोप के अन्य देशों के लोगों को अमरीका के कब्ज़े में लाया जाए, ताकि वे साम्राज्यवादी व्यवस्था से अलग न हो सकें।

इस उद्देश्य के साथ बरतानवी–अमरीकी साम्राज्यवाद ने मार्च 1945 में, जब सोवियत संघ की लाल सेना जर्मनी की सरहदों के पास पहुंच रही थी तब, नाज़ी जर्मनी के साथ अलग से गुप्त समझौते किए। उन समझौतों की शर्तों के अनुसार, जर्मनी को लाल सेना के ख़िलाफ़ लड़ने पर अपनी पूरी सेना को केंद्रित करना था, जबकि पश्चिमी और दक्षिणी यूरोप से बरतानवी–अमरीकी साम्राज्यवादियों की सेनाओं को बेरोक आगे बढ़ने की पूरी इज़ाज़त दी जानी थी। इस तरह अमरीकी साम्राज्यवादी यूरोप के ज्यादा से ज्यादा हिस्से पर अपने सैनिक नियंत्रण को स्थापित करना चाहते थे।

दूसरे विश्व युद्ध में सोवियत संघ और दुनिया के लोगों की जीत होने की वजह से, यूरोप और एशिया के बहुत से देशों में फासीवादी गुलामी और साम्राज्यवादी व्यवस्था से मुक्ति का रास्ता खुल गया। सारी दुनिया में क्रांतिकारी और मुक्ति संघर्षों की उभरती लहर तेज़ी से फैलने लगी। ब्रिटेन और फ्रांस जैसी पुरानी उपनिवेशवादी ताक़तें बहुत कमज़ोर हो गईं और एशिया तथा अफ्रीका में उपनिवेशवाद–विरोधी राष्ट्रीय मुक्ति के संघर्ष तेज़ी से आगे बढ़ने लगे। उपनिवेशवादी व्यवस्था का अंत होने जा रहा था। समाजवादी सोवियत संघ की अगुवाई में एक साम्राज्यवाद–विरोधी, फासीवाद–विरोधी, समाजवादी मोर्चा पैदा हुआ।

बरतानवी–अमरीकी साम्राज्यवाद की प्रचार मशीनरी ने दूसरे विश्वयुद्ध के बारे में झूठी धारणा फैलाई है। इस झूठी धारणा के अनुसार यह कहा जाता है कि अमरीका, ब्रिटेन और फ्रांस ने फासीवाद को हराने तथा शांति, लोकतंत्र और राष्ट्रों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए उस जंग में हिस्सा लिया था। परंतु सच तो यह है कि उन्होंने अपने बाज़ारों और प्रभाव क्षेत्रों का विस्तार करने तथा समाजवाद को नष्ट करने के खुदगर्ज़ इरादों के साथ ही जंग में हिस्सा लिया था।

निष्कर्ष

विनाशकारी जंग का स्रोत साम्राज्यवादी व्यवस्था है। साम्राज्यवाद के चलते, पूंजीवादी देशों में असमान विकास होता है। इसकी वजह से, बाज़ारों, कच्चे माल के स्रोतों तथा प्रभाव क्षेत्र को फिर से आपस में बांटने के लिए प्रतिस्पर्धी साम्राज्यवादी ताक़तों के बीच आपसी टकराव अनिवार्य हैं।

31 वर्ष पहले जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था, उसके बाद शांति की अवधि नहीं स्थापित हुई, जैसा कि साम्राज्यवादियों ने वादा किया था। अमरीकी साम्राज्यवाद अपनी हुक्मशाही के तहत एक ध्रुवीय दुनिया स्थापित करने के अपने लक्ष्य को बड़े हमलावर तरीक़े से हासिल करने के क़दम उठा रहा है। ऐसा करते हुए, अमरीकी साम्राज्यवाद दुनिया को एक के बाद दूसरे जंग में धकेल रहा है और यह सब "दुष्ट राज्यों" तथा "आतंकवाद" के ख़िलाफ़ लड़ने के नाम पर किया जा रहा है।

अमरीकी साम्राज्यवाद यह दावा करता है कि वह "नियमों पर आधारित व्यवस्था" की हिमायत करता है। अमरीकी साम्राज्यवाद दूसरे देशों को नियमों का उल्लंघन करने के लिए दोषी बताता है, जबकि वास्तव में अमरीकी साम्राज्यवाद खुद ही सहमति से स्थापित किए गए अंतरराष्ट्रीय नियमों का सबसे ज्यादा उल्लंघन करता है। अमरीकी साम्राज्यवाद विश्व शांति के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है।

दुनिया में आज जो संघर्ष चल रहा है, यह दो व्यवस्थाओं के बीच में संघर्ष है। एक व्यवस्था है पूंजीवादी–साम्राज्यवादी व्यवस्था जो मानव समाज को नष्ट करने की धमकी दे रही है, और दूसरी व्यवस्था है समाजवादी व्यवस्था जो कि मानव समाज का भविष्य है।

जब तक साम्राज्यवाद मौजूद रहेगा तब तक युद्ध का ख़तरा जारी रहेगा। स्थाई शांति को सुनिश्चित करने का एकमात्र रास्ता है फिर से श्रमजीवी क्रांति की दूसरी लहर को खड़ा करना। साम्राज्यवादी व्यवस्था का तख्तापलट करना होगा और उसकी जगह पर समाजवाद की स्थापना करनी होगी।

http://hindi.cgpi.org/22143

Mazdoor Ekta Lehar - Internet Edition

Hindi: http://www.hindi.cgpi.org
English: http://www.cgpi.org
Punjabi: http://www.punjabi.cgpi.org
Tamil: http://www.tamil.cgpi.org